प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत /नगर पंचायत का नाम – दैचोरी/नैनीताल

तहसील नैनीताल जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग के नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.360 हे0 वन पंचायत भूमि) **अर्थात कुल 0.360 हे0** वन पचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, रामनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पाण्डेगाँव.... द्वारा दिनांक 14/8/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधॉनों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हैं।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम** नयापाण्डेगॉव दैचोरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.360 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के **निर्माण** हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही हैं।

ह0/– ग्राम सचिव 14/08/19	सदस्य क्षेत्र पंचायत 05 सालिया (स्यात पाण्डे गाँव) क्षे0 पं0 कोटाबाग, नैनीताल, उत्तराखण्ड	ह0/– ग्राम प्रधान

नोट:– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही हैं, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना हैं।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 14-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पाण्डेगॉव / नैनीताल

क्रमांक	ग्राम सभा मे उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	नन्दन सिंह कार्की	[signature]
	प्रेम सिंह	[signature]
	दलीप सिंह	दलीप सिंह
	कंचन कुमार पन्त	[signature]
	भगवती	भगवती
	शेर सिंह कार्की	[signature]

सदस्य क्षेत्र पंचायत
05 तलिया (स्यात पाण्डे गॉव)
वि० ख० कोटाबाग, नैनीताल, उत्तराखण्ड

ग्राम पंचायत ...
वि.ख. कोटाबाग (नैनीताल)

प्रधान शेर सिंह कार्की
ग्राम पंचायत
पाण्डे गॉव

ग्राम विकास अधिकारी
...
वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नैनीताल

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग के नव निर्माण (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.360 हे0 वन पचायत भूमि) अर्थात कुल 0.360 हे0 वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक 31/10/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारें की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1. श्री अभिषेक रुहेला .... उपजिलाधिकारी .... (हस्ताक्षर) .... अध्यक्ष
2. श्री के० एन० भारती .... उपप्रभागीय वनाधिकारी .... (हस्ताक्षर) .... सदस्य
3. श्री एच० एम० .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सचिव
   (मोहर: सहायक समाज कल्याण अधिकारी, कोटाबाग (नैनीताल))
4. श्री भोले प्रभा पाण्डेय .... बी0डी0सी0 क्षेत्र प्रभा पाण्डेय .... सदस्य
   (मोहर: सदस्य क्षेत्र पंचायत, 05 सलिया (स्यात पाण्डे गाँव), वि० ख० कोटाबाग नैनीताल)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद नैनीताल** के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत दैचोरी **देगॉव नया पाण्डेगॉव** में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देचौरी देगॉव **मोटर मार्ग के नव** निर्माण के नव निर्माण परियोजना हेतु **0.360 हे0** वन भूमि लोक निर्माण **विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष** में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा **गया। ग्राम**

सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा **सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव** के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी हैं।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घो णा संख्या 1569/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत काण्डा से खौल मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.360 हे0 वन पचायत भूमि) **अर्थात कुल 0.360 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील –
जनपद –

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील –
जनपद –